न्यायालय : द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ म0प्र0

(समक्ष : श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे)

Registration No- CRA/186/2022
Filling No- CRA/6823/2022
C.N.R. No-MP3601-007462-2022
Filling Date- 21-11-2022

जमील खां पिता सलीम खां, आयु–35 वर्ष,
निवासीः– टपरियन मुहल्ला महरौनी थाना महरौनी
जिला ललितपुर उ0प्र0

......अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली
जिला–टीकमगढ़ म0प्र0 **........प्रत्यर्थी/राज्य**

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी) के आपराधिक प्रकरण क्रमांक–800427/2016 में घोषित निर्णय दिनांक 20.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अपील।

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से – श्री पी एन अहिरवार अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से –श्री स्वतंत्र शुक्ला, ए.जी.पी.

निर्णय

(आज दिनांक 10.07.2026 को घोषित)

01. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह आपराधिक अपील, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0 (श्री प्रदीप सोनी) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक–800427/2016 (म.प्र.राज्य विरूद्ध जमील खां बगैरह) में घोषित निर्णय दिनांक–20.10.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त जमील खां को भा.द.सं. 1860 की धारा–379 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/–रू. के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

02. सुविधा की दृष्टि से निर्णय में आगे अपीलार्थी को अभियुक्त एवं आहत को फरियादी से संबोधित किया जायेगा।

03. अपील के तथ्य एवं विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामला इस प्रकार है कि ग्राम धनवाहा में फरियादी भोले यादव के खलियान में

3 नग भैंसे बंधी हुई थी दूसरे कमरे में उसका लड़का सो रहा था, जब वह 05 बजे के करीब खलिहान गया तो उसका लड़का राजवेन्द्र यादव कमरे के अंदर था, बाहर से कुंदी लगी हुई थी, राजवेन्द्र को कुंदी खोलकर निकाला तो बताया कि रात्रि में 01:00 बजे तीन व्यक्ति आये और 3 नग भैंसों को खलियान से ले जा रहे थे, नींद खुलने पर उसने खिड़की से देखा तो एक व्यक्ति भैसों को खोल रहा था, उसने मना किया तो अभियुक्त उसे मारने की धमकी देने लगा। राजवेन्द्र ने उसे बताया था कि उसने अभियुक्त को पहचान लिया था, जो महरौनी का जमील खान था। सुबह वह अभियुक्त जमील के घर गया तो जमील ने कहा कि उसकी भैंसो की पूरी कीमत वह दे देगा, रिपोर्ट मत करना। अभियुक्त ने कहा कि दिनांक 13.01.2016 को रूपया दे देगा, परंतु उसने रूपया नहीं दिया और कहीं चला गया। उसने घटना की जानकारी संतोष, केशराम, हरिसिंह को भी दी थी। घटना की शिकायत चौकी खिरिया में किये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध चौकी खिरिया के अपराध क.05/2016 पर अपराध पंजीवद्ध किया गया एवं चौकी खिरिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 39/2016 अंतर्गत धारा 379, 201 भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्ती संबंधी कार्यवाही की जाकर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. 1860 की धारा–379 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपित अपराध अस्वीकार कर मामले में विचारण चाहा। विचारण उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भा.दं.सं. 1860 की धारा–379 के तहत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुये आलोच्य निर्णय दिनांक 20.10.2022 द्वारा दण्डित किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह अपील प्रस्तुत की है।

05. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत दोषसिद्धि निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रकरण का फरियादी भोले यादव जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई है एवं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है एवं उसकी पूर्व से अपीलार्थी से पहचान होने तथा गांव में आने–जाने एवं भैसों की खरीददारी करने के संबंध में आए हुए तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर निर्णय व दण्डादेश पारित करने में भारी भूल की गई है। फरियादी अ.सा.1 भोले यादव द्वारा घटना के करीब 25

दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, एवं नक्शा मौका पर उपस्थिति के संबंध में अन्य किसी साक्षी की उपस्थिति नहीं बता पाई है। अ.सा.–2 राजवेन्द्र ने अपने प्रति परीक्षण में बताया है कि उसने घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट की थी तथा 20–21 दिन बाद कोई रिपोर्ट लेख होना नहीं बताई है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाती है। अ.सा.–1 भोले यादव एवं अ.सा.–2 राजवेन्द्र के कथनों में भिन्नता है तथा जिस खिडकी का उल्लेख अ.सा.–2 ने घटना देखने के संबंध में किया है, उसकी लंबाई, चौडाई के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं कर पाया है एवं उपरोक्त साक्षी अ.सा.–2 ने घटना स्थल पर बिजली का खंभा होना बताया है, जबकि नक्शा मौका में इस महत्वपूर्ण बिन्दू का कोई उल्लेख नहीं है तथा दोनों साक्षियों ने भैसे कितनी दूरी पर बंधी थी, इस बिन्दू पर एक रूपता दर्शित नहीं की है तथा अंधेरे में भैसों एवं व्यक्तियों के पहचान के संबंध में संदिग्ध कथन दिये है। अ.सा.–1 एवं अ.सा.–2 ने गांव के लोगों के साथ अपीलार्थी के घर आना एवं अपीलार्थी द्वारा रूपये बाद में देने के संबंध में कथन किया है, किंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने इस बात का कोई समर्थन नहीं किया है कि उपरोक्त दोनों साक्षी एवं गांव के लोग अपीलार्थी जमील के घर गये हो और अपीलार्थी के द्वारा फरियादी को रूपये देने का समय दिया गया है। अ.सा. 3 हरिसिंह के मेमोरेण्डम से अभियोजन के मामले का किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा.–5 देवकांत शेषा ने न्यायालयीन कथन में बताया कि उसने फरियादी की रिपोर्ट अपने क्लीनिक पर होकर लेख की थी, जबकि स्वयं फरियादी अ.सा.1 भोले यादव ने बताया कि उसने थाने में ही रिपोर्ट लिखाई थी। अ.सा. 6 चिगन अहिरवार ने अभियोजन कहानी का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया है। अ.सा.–7 विवेचक लखनलाल शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकारा है कि चोरी की गई भैंसे जब्त नहीं हो पाई थी। साक्षी अ.सा 7 ने जो जब्ती दर्शायी है, उसमें रूपये में नोट कितने–कितने के थे, उसका उल्लेख नहीं किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से प्रश्नगत आलोच्य निर्णय को पूरी तरह से विधिसंगत होना निरूपित करते हुए प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. उभयपक्ष के तर्कों, अपील मेमो के आधारों व अभिलेख के अवलोकन उपरांत इस दांडिक अपील के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु निर्मित होते हैं–

1. क्या विचारण न्यायालय द्वारा घोषित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निष्कर्ष विधि व तथ्यों के अनुकूल न होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

–:: निष्कर्ष के आधार ::–

08. भोले यादव अ0सा01 ने कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को जानता है, घटना दिनांक 23.12.2015 की रात के 01 बजे वह अपने घर पर था, उसका घर उसके खलिहान में बना हुआ है। जब वह सुबह 05:00–5:30 बजे भैसों को लगाने के लिए गया तो उसने देखा कि उसकी 3 भैंसें नहीं है। उसका लड़का राजवेन्द्र खलिहान के कमरे में अंदर था और बाहर से कुंदी लगी थी कुन्दी खोलने पर उसके बच्चे ने बताया कि रात को 01:00 बजे जमील ने भैंसे छोड़ दी थी और उसकी कुंदी लगा दी थी। तीन आदमी थे, जिसमें वह जमील खां को पहचान पाया था। वह अपनी भैंसों को आसपास ढूंढने के लिए निकला और आसपास भैंसों को ढूंढा, परंतु भैंसे नहीं मिली थी फिर उसने घटना के संबंध में प्र0पी01 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–2 बनाया था। प्रतिपरीक्षण में कहा कि घटना के समय वह अपने गांव के मकान पर था। खेत पर बने मकान में कोई नहीं रहता। उसकी भैंसे खलिहान में बने मकान से 30–40 फीट दूरी पर बंधी थी। उसने आरोपीगण को घटना कारित करते नहीं देखा।

09. राजवेन्द्र यादव अ0सा02 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण और फरियादी को जानता है। घटना दिनांक 23.12.2015 की रात 01:00 बजे वह अपने मकान में सो रहा था, बाहर से भैंसों की आवाज आई तो उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर से कुंदी लगी हुई थी। खिड़की से देखा तो अभियुक्त जमील भैंस को खोल रहा था, बब्लू और समर वहीं खड़े थे। उसने रोका तो उसे अभियुक्तगण ने मारने की धमकी दी। सुबह 05:00 बजे उसके पापा भोले यादव ने आकर कहा कि भैंसे कहां है तो उसने बताया कि रात में 01:00 बजे जमील खां, बब्लू और सम्मर ले गये थे उन्होंने थाना में रिपोर्ट की थी। अभियुक्तगण से 35,000/– रूपये की जप्ती की गई थी। घटनास्थल का नक्शामौका पुलिस ने उसके समक्ष उसकी निशानदेही पर तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि जहां उसकी भैसें बंधी थी वहां आसपास कोई मकान नहीं हैं। उसने अपने पुलिस कथन में अभियुक्त बब्लू एवं समर का नाम बता दिया था, लेकिन उसके कथनों में नाम लेख नहीं है। उसने 50–80 मीटर तक अभियुक्तगण को भैंसे ले जाते देखा था।

पुलिस ने रिपोर्ट करने वाले दिन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था और 35,000/–रू. जब्त किये थे।

10. हरिसिंह यादव अ0सा03 ने व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण और फरियादी को जानता है। अभियुक्तगण उसके गांव से पैसों में भैंसे ले जाते हैं। उसके न्यायालयीन कथन से दो–तीन वर्ष पूर्व भोले की भैंसे चोरी चली गई थीं, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि भोले की भैंसे किसने चोरी की थी। प्रदर्श पी–3 लगायत प्रदर्श पी–11 है। आरोपी बब्लू, जमील, समर ने यह नहीं बताया था कि भैसे बेचकर जो पैसे बचे है वह मकान में छिपाकर रखे है बरामद कराये देते है। तीनों आरोपीगण से मकान से पैसे जब्त नहीं किये थे न ही उन्हें गिरफ्तार किया था। प्रतिपरीक्षण में कहा कि पुलिस ने 03 लगायत 11 के दस्तावेज पर घर पर हस्ताक्षर कराये थे, उक्त दस्तावेज कोरे थे।

11. एम.के. तिवारी अ0सा04 ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 14.01.2016 को थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान चौकी खिरिया से आरक्षक 238 गौरव तिवारी द्वारा अपराध क्रमांक 05/16 धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता की एफ.आई.आर. पेश करने पर उसके आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 39/16 पर प्रथमसूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 दर्ज की थी।

12. देवकान्त शेषा अ0सा05 ने व्यक्त किया है कि वह फरियादी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 5–6 वर्ष पूर्व सुबह के समय फरियादी भोले यादव उसके पास आया था और उसने बताया था कि उसकी कुछ भैंसे चोरी हो गई हैं, जिसकी रिपोर्ट करने के लिए वह थाने गया था घटना के संबंध में फरियादी ने जैसा उसे बताया था, वैसा ही उसने आवेदन पत्र प्र0पी013 में लेख किया था। चिमन अहिरवार अ0सा06 ने फरियादी को जानते हुये घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे।

13. लखनलाल शर्मा अ0सा07 ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 14.01.2016 को चौकी खिरिया में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान फरियादी भोले यादव के लिखित आवेदन पर उन्होंने अभियुक्त जमील खान के विरूद्ध चौकी खिरिया के अपराध क्रमांक 05/16, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी–1 है। फरियादी की निशानदेही पर नक्शामौका प्रदर्श पी–2 तैयार किया था एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। अभियुक्त जमील से पूछताछ कर मेमोरेंडम प्रदर्श पी–3 लेख किया

था। अभियुक्त जमील को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–9 तैयार किया था एवं अभियुक्त बब्लू उर्फ वली मोहम्मद व सम्मर घोष के मेमोरेंडम क्रमशः प्रदर्श पी–4 व 5 लेख किये थे। अभियुक्तगण जमील खान, बब्लू खान व सम्मर घोष से चोरी की भैंसो के विक्रय का पैसा जप्त कर जप्तीपत्रक क्रमशः प्रदर्श पी–6, 7 व 8 तैयार किया था। अभियुक्त बब्लू उर्फ बली मोहम्मद व समर घोष को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी–10 व 11 तैयार किया था।

14. आरोपी की ओर से यह बचाव लिया गया है कि प्रकरण में विलंब से रिपोर्ट लेखवद्ध कराई गई है एवं फरियादी के द्वारा सोचसमझकर रिपोर्ट लेख की है और विलंब से रिपोर्ट लेख कराने का कोई कारण प्रथमसूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी को दोषमुक्त किया जाये। इस संबंध में फरियादी भोले ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 23.12.2015 को रात के 12 बजे उसका लडका खलिहान में था और सुबह जब वह खलिहान में गया तो उसके लडके ने बताया कि अभियुक्तगण उसकी भैंस को ले गये थे एवं अभियुक्तगण ने पैसे देने का कहा लेकिन पैसे नहीं दिये तो रिपोर्ट की थी। इसी आशय का कथन साक्षी राजवेन्द्र अ0सा02 ने किया है।

15. फरियादी के लिखित आवेदनपत्र प्र0पी013 के अनुसार घटना दिनांक 23.12.2015 को उसकी भैसे बंधी थी लडका दूसरे कमरे में सो रहा था। 5 बजे खलिहान आया तो उसका लडका कमरे के अंदर सो रहा था। उसके लडके ने बताया कि एक बजे तीन व्यक्ति आये और उसकी भैसों को खलिहान से ले जा रहे थे नींद खुलने पर खिडकी से देखा तो एक व्यक्ति भैसों को खोल रहा था मना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसने जमील खान को पहचान लिया था। सुबह जमील ने कहा कि भैसों की कीमत देगा, रिपोर्ट मत करना। दिनांक 13.01.2016 को रूपये दे देगा उसने रूपया नहीं दिया और कहीं चला जाना उल्लेखित है। फरियादी के प्र0पी013 के लिखित आवेदनपत्र के आधार पर थाना खिरिया के अपराध क्र. 05/2016 धारा 379 भादवि के अधीन प्रथमसूचना रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध की जाना उपनिरीक्षक एल एल वर्मा ने प्रमाणित किया है। उक्त चौकी खिरिया पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्र. 39/2016 अंतर्गत धारा 379 भादवि के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी012 दिनांक 14.01.2016 को लेखवद्ध की जाना अनुसंधानकर्ता एम के तिवारी ने प्रमाणित किया है।

16. प्रकरण में भोले अ0सा01, देवकांत अ0सा05, अनुसंधानकर्ता एम के

तिवारी अ0सा04 ने साक्ष्य के दौरान यह व्यक्त किया है कि फरियादी भोले के द्वारा प्र0पी013 का लिखित आवेदनपत्र चौकी खिरिया में दिया था जिसके आधार पर चौकी खिरिया में 05/2016 पर प्रथमसूचना रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध की गई थी। थाना कोतवाली के अपराध क्र. 39/2016 पर प्रथमसूचना रिपोर्ट प्र0पी012 लेखवद्ध की गई थी। प्रथमसूचना रिपोर्ट लगभग घटना के 20 दिन बाद लेख की गई है। फरियादी ने अपने आवेदन में आरोपी जमील के द्वारा दिनांक 13.01.2016 को भैस की कीमत देने की बात करना और पैसे नहीं देने पर रिपोर्ट लेखवद्ध कराया जाना व्यक्त किया है। इस प्रकार भोला ने अपनी साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने पैसे नहीं दिये। साक्षी राजवेन्द्र ने यह व्यक्त किया है कि दूसरे दिन अभियुक्त जमील आया था और पैसे देने का कहा था किन्तु उसने पैसे नहीं दिये थे उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। इस प्रकार प्रथमसूचना रिपोर्ट प्र0पी01 के कॉलम नंबर 08 में विलम्ब का कारण आरोपी के द्वारा रूपया नहीं देना लेख है। प्र0पी01 की प्रथमसूचना रिपोर्ट एल एल शर्मा के द्वारा लेख की गई है। इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता एल एल शर्मा अ0सा07 ने प्र0पी012 की प्रथमसूचना रिपोर्ट लेखवद्ध की थी। इस प्रकार फरियादी भोले अ0सा01, राजवेन्द्र अ0सा02 दोनों ने आरोपी के द्वारा भैंस की कीमत नहीं देने पर रिपोर्ट लेख कराया जाना व्यक्त किया है। इस प्रकार विलंब से रिपोर्ट किये जाने का समुचित कारण अभिलेख पर दर्शित है।

17. अभिलेख अनुसार अभियुक्त जमील खां के विरूद्ध फरियादी के द्वारा नामजद लिखित आवेदन प्र0पी01 दिया था जिसके आधार पर प्रथमसूचना रिपोर्ट प्र0पी01 व प्र0पी012 की एफआईआर लेखवद्ध की थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त जमील खां के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–3, अभियुक्त बब्लू उर्फ बली मोहम्मद के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–4, अभियुक्त सम्मर घोषी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–5 के आधार पर अभियुक्त जमील के अतिरिक्त अन्य अभियुक्त अर्थात बब्लू उर्फ बली मोहम्मद तथा सम्मर घोषी नामित किये गये हैं। मामले में लेख की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, दिये गये आवेदन प्रदर्श पी–13, नकल पर कायम की गई एफआईआर प्रदर्श पी–12 में अभियुक्त जमील खा के अतिरिक्त अन्य दो अभियुक्त अज्ञात ही दर्शाये गये हैं।

18. अभिलेख से स्पष्ट है कि मात्र अभियुक्त जमील खां के द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम कथन या संस्वीकृति के आधार पर सहअभियुक्तगण बब्लू उर्फ बली मोहम्मद तथा सम्मर घोषी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक राजवेन्द्र

यादव (अ.सा.–2) तथा भोले यादव (अ.सा.–1) की साक्ष्य का प्रश्न है तो भोले यादव (अ.सा.–1) ने स्वयं अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुये नहीं देखा है। घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी राजवेन्द्र यादव (अ.सा.–2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना दिनांक को तीन नग भैंसों को अभियुक्त जमील द्वारा खोलना व बब्लू तथा सम्मर के उसके साथ खडा होना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान जमील के अलावा अन्य दो लोग कौन–कौन थे, उनके नाम अपने पुलिस कथन प्र0डी02 में नहीं बताये हैं। जमील के अलावा अन्य दो व्यक्ति कौन थे, वह उन्हें नहीं जानता था। उसने अपने पिता जी को यह नहीं बताया था कि रात को 01:00 बजे जमील, बब्लू और सम्मर भैंसे ले गये थे। भोले यादव (अ.सा.–1) ने कहीं भी उसके पुत्र राजवेन्द्र द्वारा अभियुक्त जमील के अलावा अन्य दो व्यक्ति बब्लू व सम्मर के होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, राजवेन्द्र द्वारा जमील को पहचानने अन्य दो लोगों को सामने आने पर पहचाना बताया है। इसप्रकार राजवेन्द्र यादव (अ.सा.–2) ने अभियुक्त बब्लू व सम्मर के घटनास्थल पर मौजूद होने पर उन्हें पहचान लेने के संबंध में भोले यादव (अ.सा.–1) से परस्पर विरोधी कथन किये है। ऐसी स्थिति में उक्त मौके पर साक्षी राजवेन्द्र यादव द्वारा बब्लू व सम्मर को अभियुक्त जमील के साथ भैंसे ले जाते समय देखे जाने के संबंध में साक्षी के कथन विश्वास योग्य नहीं माने जा सकते। इसके अतिरिक्त मामले में अभियोजन या पुलिस द्वारा अभियुक्त जमील के अलावा अन्य दो व्यक्ति कौन थे, इसके संबंध में वे व्यक्ति अभियुक्त बब्लू व सम्मर ही थे, के संबंध में कोई पहचान, परेड या कार्यवाही भी नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में घटना में अभियुक्त बब्लू व सम्मर के मौजूद होने या संलिप्तता के संबंध में अभियोजन साक्ष्य पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

19. मामले में भले ही राजवेन्द्र यादव (अ.सा.–2) की साक्ष्य अभियुक्त बब्लू उर्फ बली मोहम्मद व सम्मर घोषी के घटना के समय अभियुक्त जमील के साथ मौजूद होने व उन्हें पहचानने के संबंध में पर्याप्त या विश्वास योग्य नहीं पाई गई हो, परन्तु उक्त साक्षी अर्थात राजवेन्द्र यादव (अ.सा.–2) ने स्पष्ट तौर पर घटना कारित करते समय अर्थात फरियादी की भैंसो को घटनास्थल से चुराते समय अभियुक्त जमील को देखा था। उक्त संबंध में साक्षी की प्रत्यक्ष साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

20. प्रकरण में साक्षी भोले अ0सा01 ने साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया है कि उसके दोस्त राजवेन्द्र ने बताया था कि घटना दिनांक को आरोपी जमील व उसके

साथी बब्लू व समर आये और उसकी भैंसों को खोलकर ले गये थे। साक्ष्य के दौरान यह तथ्य भी आया है कि आरोपीगण के द्वारा भैंस की कीमत चुकाने की बात की गई थी इसी प्रकार साक्षी राजेन्द्र अ0सा02 ने आरोपीगण के द्वारा उनकी भैसों को खलिहान से खोलकर ले जाने के संबंध में कथन किये है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के द्वारा ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है जिससे यह तथ्य आये कि साक्षीगण असत्य कथन कर रहे हैं। अपितु उक्त साक्षीगण ने आरोपी जमील के द्वारा स्पष्ट रूप से घ ाटना कारित करने संबंधी कथन किये है। साक्ष्य के दौरान यह कथन भी आया है कि जमील के द्वारा प्रकरण में भैंस की चोरी की गई थी। साक्षी राजवेन्द्र यादव (अ.सा.–2) की अभियुक्त जमील को घटना कारित करते हुये देखने के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य किये गये वृहद प्रतिपरीक्षण के बाद भी अखण्डनीय प्रकट हो रही है। ऐसी स्थिति में भले ही मामले में चोरी गई भैंसे अभियुक्त जमील से बरामद न हुई हों, तब भी राजवेन्द्र यादव (अ.सा.–2) की प्रत्यक्ष साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

21. अतः उपरोक्त विवेचना उपरांत यह संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त जमील ने दिनांक 24.12.2015 को रात करीब 01:00 बजे फरियादी का खलिहान ग्राम धनवाहा, अंतर्गत थाना कोतवाली में सूचनाकर्ता भोले यादव के आधिपत्य की तीन नग भैंसे कीमती करीबन 40,000/–रू. खलिहान से ले जाकर चोरी कारित की थी। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व भा.द.स. 1860 की धारा–379 के अंतर्गत दोषसिद्धी का जो निष्कर्ष दिया है, उसे स्थिर रखा जाता है।

22. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो प्रकरण वर्ष 2015 से लंवित है। अभियुक्त वर्ष 2015 से निरंतर विचारण का सामना कर रहा है। अभियुक्त नवयुवक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण की समग्र परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित किये गये दण्ड में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

23. परिणामतः उक्त संबंध में मूल कारावास की सजा के बिन्दु पर अपीलार्थी/अभियुक्त जमील द्वारा प्रस्तुत अपील को अंशतः स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त जमील खां को विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. 1860 की धारा 379 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/–रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, जिसमें दी गई सजा को अपास्त करते हुए

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान व्यतीत की गई निरोध अवधि के कारावास एवं 10,000/—रू. (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया जाता है।

24. अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2026 तक उपस्थित होकर पूर्व में उनके द्वारा इस प्रकरण में जमा की गई अर्थदण्ड की राशि 1,000/—रू. को समायोजित करते हुए शेष अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई जावे।

25. जब्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

26. अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा उसके जमानतदार को उन्मोचित किया जाता है। विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा—428 द.प्र.स. का प्रमाण—पत्र तैयार किया जाकर सुपर सेसन वारंट के साथ संलग्न किया जाये।

27. निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख विचारण न्यायालय की ओर भेजा जावे।

28. निर्णय की प्रति अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 363 द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
टीकमगढ़, म0प्र0

(श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
टीकमगढ़, म0प्र0

GYANESHWARI KUMRE

Digitally signed by GYANESHWARI KUMRE
Date: 2026.07.10 17:40:20 +0530